राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांकः प.17(492)राभ/2023/3133 दिनांक : 25 जुलाई, 2023

आदेश

सुश्री तरूणा चारण पुत्री स्व. श्री लादू सिंह (भूतपूर्व वाहन चालक, राज्यपाल हाउसहोल्ड) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 सहपठित अनुकंपात्मक नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्यपाल सचिवालय में रिक्त लिपिक ग्रेड–II के पद पर अस्थाई आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 14,600/– प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने पश्चात पे–बैण्ड 5200–20200, ग्रेड पे रूपये 2400/– (L-5) में निम्नांकित शर्तों के आधार पर कार्य संभालने की तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा एक माह के नोटिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा समाप्त की ज़ा सकेगी।
2. राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 एवं कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प07(2)कार्मिक/क–2/2006 दिनांक 05.07.2010, प03(1)कार्मिक/क–2/2013, दिनांक 02.01.2017 के अनुसरण में कम्प्युटर से टंकण गति परीक्षा (हिन्दी/अंग्रेजी) में उतीर्ण नहीं करने पर वार्षिक वेतनवृद्वि देय नहीं होगी तथा तीन वर्ष के अन्दर कम्प्यूटर गति परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि में निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर वेतनवृद्वि नहीं दी जावेगी तथा कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना एफ.5(51)कार्मिक/क–2/88, दिनांक 31.12.1996 के भाग 9 के अनुसरण में आश्रित के 03 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिये हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जावेगी और ऐसा ना होने पर इसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर ले, तब तक उन्हे कोई वार्षिक वेनतवृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी। ऐसी अर्हतायें अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप से वेतनवृद्विया अनुज्ञात की जावेगी किन्तु कोई बकाया संदत्त नहीं की जावेगी।
3. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क–2/2013, दिनांक 02.01.2017 एवं दिनांक 04.05.2017 एवं क्रमांक प.7(2)कार्मिक/क–2/2006/पार्ट–I, दिनांक 14.03.2016 के अनुसार नियुक्ति के पश्चात मृतक आश्रित कर्मचारी को कम्प्यूटर योग्यता दो वर्ष में नियमानुसार अर्जित करना आवश्यक है और यदि वह उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता हैं तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परीविक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जावेगा।
4. राज्य सेवा के दौरान मृतक आश्रित के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण पोषण न करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

6. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड–II के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
7. परिवीक्षाधीन कालावधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नही पाया गया अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो, मैं असफल रहने पर उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
9. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानो के अनुसार देय होगें।
10. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होगें।
11. अभ्यर्थी की नियुक्ति कार्मिक (क–2/नियम) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प. 7(2)कार्मिक/क–2/2005, दिनांक 20.01.2006 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत शासित होगी।
12. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते है तो इनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
13. अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। यदि अभ्यर्थी किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, वे पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवे कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेंगी।

(सुबीर कुमार)
प्रमुख सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
3. प्रोग्रामर, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया राजभवन वेबसाईट पर सूचना प्रदर्शित करावें।
4. निजी सहायक, प्रमुख विशेषाधिकारी, राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
5. बिल लिपिक, राज्यपाल सचिवालय।
6. सुश्री तरूणा चारण पुत्री स्व. श्री लादू सिंह, डी–25, राजभवन स्टाफ क्वार्टर, जयपुर।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

उप सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

D:\SAMOTA\Order office 2022